

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26022021-225492
SG-DL-E-26022021-225492असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/ फाल्गुन 4, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 340
No. 69]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/ PHALGUNA 4, 1942	[N. C. T. D. No. 340

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
(मद्य निषेध निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

फा. सं. 5(6)/डीओपी/आरआर/2017-18/1036.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा मद्य निषेध निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यक्रम आयोजक/सामाजिक कार्यकर्ता (परामर्श) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—** (1) इन नियमों को मद्य निषेध निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कार्यक्रम आयोजक/सामाजिक कार्यकर्ता (परामर्श) के भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वतन मैट्रिक्स में स्तर:—** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि:**— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता:**— ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव:**— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	कार्यक्रम आयोजक/सामाजिक कार्यकर्ता (परामर्श)
2.	पदों की संख्या	:	01 * (एक)(2021) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग', सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	स्तर-5 (29200-92300/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये चालीस वर्ष (40) तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	शैक्षणिक योग्यताएं :- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि। अथवा (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, तथा (आ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परामर्श मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ख) हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान।

			वांछनीय:- (क) इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिटॉक्स सैन्टर में निवारक जागरूकता/परामर्श के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टीप-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप- 2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती टीप:- पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रुपये) के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष; तथा (ख) कालम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण – अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (निषेध) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (निषेध)– सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभाग से इतर सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

एस. सी. वत्स, संयुक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(DIRECTORATE OF PROHIBITION)
NOTIFICATION

Delhi, the 22nd February, 2021

F. No. 5(6)/DOP/RR/2017-18/1036—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Programme Organizer/Social Worker (Counseling) in the Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. Short title and commencement :- (i) These rules may be called the Directorate of Prohibition, Department of Women and Child Development, “Programme Organizer/Social Worker (Counseling)” Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix :- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc :- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification :- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax :- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Programme Organizer/Social worker (Counseling)	01*(one) (2021) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 (Rs. 29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty (40) years in accordance with the instructions or	Educational Qualification: Degree / Post Graduate Degree in Psychology from recognized University. Or a. Graduate from recognized University and

					orders issued by the Central Government) Note: - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nikobar Islands or Lakshadweep).	b. Post Graduate Diploma in Counseling Psychology from recognized University; 2. Working knowledge of Hindi Desirable 1. One year experience in the field of preventive awareness/counseling in detox centre recognized by the Central/State Government or Central/State Government Departments providing such services. C. Working knowledge Computer Note:1 Qualifications are relax able at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note:2 The qualification(s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
--	--	--	--	--	---	--

Whether age/ educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee (DPC) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission (UPSC) is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years	Direct Recruitment Note : Vacancies caused by the	Not applicable	Group – ‘C’ Departmental Confirmation	Not applicable

		incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government having :- a) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR With 5 year's regular service in the posts in Level-4(Rs. 25500-81100) in Pay Matrix, or equivalent; and b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.		Committee 1. Director WCD/SW - Chairman 2. Joint Director (Proh) - Member 3. Assistant Director (Proh)- Member 4. Member belonging to SC/ST from the outside of the Department	
--	--	--	--	---	--

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. C. VATS, Jt. Director